अध्याय V: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

चैन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड

5.1 निम्न विद्युत घटक हेतु क्षतिपूर्ति प्रभारों का परिहार्य भुगतान

चैन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड ने निम्न विद्युत घटक के कारण तमिल नाडू उत्पादन एवं संवितरण कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा उदग्रहित प्रतिपूर्ति प्रभारों के लिए ₹9.08 करोड़ का परिहार्य भुगतान वहन किया।

तमिलनाडू विद्युत नियामक आयोग (टीएनईआरसी) ने अपने 2012 की आदेश संख्या-1 में निर्धारित किया है कि हाई टेंशन (एचटी) सर्विस कनेक्शनों के संबंध में, उपभोक्ता प्रतिष्ठापन का औसत विद्युत घटक[1] (एपीएफ) 0.90 से कम नहीं होगा। यदि एपीएफ निर्धारित स्तर से कम होता है, मौजूदा खपत प्रभारों का एक *प्रतिशत* से दो *प्रतिशत* के बीच प्रतिपूर्ति प्रभार उदग्राहय होंगे। इसके अतिरिक्त, तमिलनाडू विद्युत सवितरण कोड़ (टीएनईडीसी) 2008 के विनियमन 13(3) में बताया गया कि लाइसेंसधारी को इंटरफेस (इटरफेसों) में 0.90 के न्यूनतम स्तर (लैग) पर प्रणाली विद्युत घटक को बनाए रखना चाहिए और उपयोगी प्रणाली अध्ययनों के द्वारा और संवितरण प्रणाली में सामरिक बिंदुओं पर अपेक्षित वीएआर[2] क्षतिपूर्ति उपकरण स्थापित करके प्रणाली में सुधार के उपायों को शुरू करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कोड़ के प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित स्तर के लिए उनके कनेक्टेड लोड के विद्युत घटक में सुधार करना उपभोक्ता की ओर से अनिवार्य था।

चैन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड (सीएमआरएल), प्रत्येक माह 5 एमवीए की अधिकतम मांग के दो सर्विस कनेक्शनों (कोआंबेडु और अलंदुर) के साथ एचटी विद्युत उपभोक्ता होने के कारण, टीएनईआरसी द्वारा निर्धारित की गई 0.90 के अनुसार विद्युत घटक को बनाए रखना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सीएमआरएल द्वारा प्राप्त किया गया वास्तविक विद्युत घटक कोआंबेडू कनेक्शन के संबंध में जनवरी 2014 से मार्च 2017 की अवधि के दौरान और अलंदुर कनेक्शन के संबंध में फरवरी 2016 से मार्च 2017 के दौरान निर्धारित 0.90 से

---

1 *विद्युत घटक से तात्पर्य लक्षित विद्युत की वास्तविक विद्युत के अनुपात से है*

2 *वीएआर-वोल्ट एम्पीयर रिएक्टिव (वीएआर) एक इकाई है जिसके द्वारा एसी इलेक्ट्रिक विद्युत प्रणाली में रिएक्टिव विद्युत तीर्वगति से प्रवाहित होती है।*

कम था। परिणामस्वरूप, तमिलनाडू उत्पादन एवं संवितरण निगम लिमिटेड (टीएएनजीईडीसीओ) ने जनवरी 2014 से मार्च 2017 तक की अवधि के लिए ₹9.08 करोड़ की राशि (कोआंबेडु हेतु ₹5.32 करोड़ और अलंदुर हेतु ₹3.76 करोड़) के प्रतिपूर्ति प्रभार उदग्रहित किये, जो कंपनी द्वारा भुगतान किए गए थे।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (अगस्त 2018) कि मेट्रो परियोजना के चरण-I की समस्त प्रणाली आवश्यकता को पूरा करने के लिए वीएआर परियोजना उपकरण को प्रतिष्ठापित किया गया। चूंकि भूमिगत स्टेशनों को चालू नहीं किया गया था और जनवरी 2014 से मार्च 2017 की अवधि के दौरान केवल अपरगामी स्टेशन लोड को ऊर्जा प्रदान की गई थी, इससे निर्धारित विद्युत घटक को बनाए नहीं रखा जा सकता था। कंपनी ने आगे बताया कि भूमिगत स्टेशन के चालू होने के बाद (मई 2017), ऊर्जा की खपत में वृद्धि हुई और विद्युत घटक मे भी सुधार हुआ था। मंत्रालय ने (नवंबर 2018) प्रबंधन के विचारों का समर्थन किया।

तथ्य यह था कि वीएआर विद्युत घटक क्षतिपूर्ति पैनल जो मई 2017 से जुलाई 2017 के बीच (एक जो नवंबर 2016 में प्रतिष्ठापित किया गया था उसे छोड़कर) प्रतिस्थापित किए गए थे और विद्युत घटक को ठीक किया गया था। सुधारात्मक कार्रवाई करने में विलंब के परिणामस्वरूप टीएएनजीईडीसीओ द्वारा उदग्रहित क्षतिपूर्ति प्रभारों के लिए ₹9.08 करोड़ के परिहार्य व्यय के साथ ही सांविधिक आवश्यकता का अननुपालन हुआ।

हाउसिंग एंड़ अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड़

5.2 अनुलाभों के अनियमित भुगतान

हाउसिंग एंड़ अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा 2009-10 से 2018-19 के दौरान अपने कार्यकारियों को ₹16.22 करोड़ को रियायतें प्रदान की गई जो कैफेटेरिया के तहत रियायतों तथा भत्तों हेतु डीपीई द्वारा नियत की गई सीमा से अधिक थे।

सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) ने केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (सीपीएसई) में वेतनमान के संशोधन पर दिशानिर्देश जारी (नवंबर 2008) किए थे जो जनवरी 2007 से लागू किये गए थे। दिशानिर्देशों ने सीपीएसई को कैफेटेरिया दृष्टिकोण का अनुसरण करने की अनुमति दी जो कार्यकारियों को मूल वेतन के अधिकतम 50 *प्रतिशत* तक की सीमा के विषय में रियायतों (अनुलाभों) और भत्तों (पूर्वोत्तर भत्ता, भूमिगत खदानों हेतु भत्ता, कठिन एवं दूरस्थ क्षेत्रों में सेवा हेतु विशेष भत्ता, चिकित्सा अधिकरियों हेतु गैर-अभ्यास भत्ता तथा आवास किराया भत्ता/पट्टे पर दिया गया आवास को छोड़कर) सेट से चयन करने की अनुमति देती है। उक्त अधिकतम सीमा को जनवरी 2017 से लागू वेतन संशोधन पर डीपीई

दिशानिर्देशों (अगस्त 2017) के माध्यम से मूल वेतन के 35 *प्रतिशत* पर संशोधित किया गया था।

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (हडको) के निदेशक मंडल ने शून्य *प्रतिशत* से आठ *प्रतिशत* के बीच ब्याज की दर में रियायत पर गृह-निर्माण भत्ता, वाहन भत्ता, विवाह अग्रिम, कल्याण अग्रिम, त्यौहार अग्रिम और कम्प्यूटर अग्रिम अनुमत किए थे।

हडको ने कैफेटेरिया दृष्किोण के तहत चार अनुलाभों एवं भत्तों के सेट को स्वीकृति (दिसंबर 2008) दी, जिनको 19 अनुलाभों एवं भत्तो के एक सेट हेतु बढ़ाया (फरवरी 2018)था। अग्रिमों पर ब्याज की अंतर दर को आयकर अधिनियम, 1961 के तहत अनुलाभों के रूप में माना जाता हैं तथा हडको ने स्रोत पर कर की कटौती हेतु इसे अपने कार्यकारियों के कराधीन वेतन के भाग के रूप में माना है। इसलिए, हडको ने कैफेटेरिया दृष्टिकोण के तहत ऐसे अनुलाभों को शामिल नहीं किया गया जो अनियमित था।

हडको ने कॉर्पोरेट कार्यालय में नियुक्त कार्यकारी तथा 21 क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए ब्याज की रियायत दर पर विभिन्न अग्रिम संवितरित किये थे। 2009-10 से 2018-19 की अवधि हतु रियायती ब्याज का मूल्य ₹16.22 करोड़[3] था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (03 अप्रैल 2019) कि डीपीई ने अपने दिशानिर्देशों में अल्पआहार-गृह उपागम हेतु अनुलाभों एवं भत्तों के रूप में अग्रिमों पर ब्याज रियायत का वर्गीकरण नहीं किया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि डीपीई ने अपने दिशानिर्देशों में कैफेटेरिया दृष्टिकोण में कुछ अनुलाभों तथा भत्ते निर्दिष्ट किये है जिनको मूल वेतन की 50 *प्रतिशत* एवं 35 *प्रतिशत* की सीमाओं को लागू करने में बाहर रखा जाना है, जिसमे कर्मचारी अग्रिमों पर रियायती ब्याज शामिल नहीं हैं। एचयूडीसीओ द्वारा रियायती ब्याज मूल्य को आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत अनुलाभों के रूप में भी माना गया।

हडको ने डीपीई दिशानिर्देशों के अननुपालन के कारण 2009-10 से 2018-19 तक अपने कर्मचारियों के लिए अनुलाभों तथा भत्तों पर ₹16.22 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया।

मंत्रालय में इस मामलों को अप्रैल 2019 को प्रेषित किया गया था; उनकी प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी (मई 2019)।

---

[3] ***सात क्षेत्रीय कार्यालयों के संबंध में अनुलाभों के मूल्य की सूचना एचयूडीसीओ से प्रतिक्षित है।***